

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

फुन्हालाल

बनाम

नाकूठ

किस्म मुकदमा

दावा

नं.

243

सन्

2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
7/8/17	<p>आधिवक्ता चांदी / प्राणी हास पेश प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार के पास जाकर 11/5/17 को तलबी जारी की। पत्रवली दिनांक 11/5/17 को पेश है।</p> <p>उमरगड अधिकारी दिल्ली</p>	
11/5/17	<p>PO सा अकारर सूत्रकार से / दारे पर बाहर / चर्चा में गैक पधारे है पत्रवली दिनांक 16/5/17 को पेश है। आदी उक्ति की प्रतिलिपि 1 म 21 एवं 23 की कोर के हकालिमा जवाब प्रदूर किम को शाहिन कि. 1 उक्ति दिनांक 16/5/17 को पेश की।</p>	फुन्हा
16/5/17	<p>P.O. साहबल अवेन नोकिहा के पथ में प्रकरण दिनांक 20/5/17 को पेश हो।</p> <p>कुंभ मालेडा के पेश की</p>	भाय
20/5/17	<p>पत्रवली राजस्व लोक अदालत कुम्प चंयायत मालेडा के अदालत सेना केन्द्र में पेश हुई। बाडी व प्रतिलिपि दिनांक 1, 12, 14 व 18 उपस्थित हल। आदेशिका पर हस्ताक्षर किमो. और एक प्रार्थना पत्र रस आशय का पेश किया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिफ्ले के दुरुपार हवारा बहवारा कर दिया जावे। प्रकरण के सीकेप में हल प्रकार कि जारी फुन्हालाल ने डावा बनाने का दावा</p>	जगदीश गामा



कारागिरीयात पैदा किया और प्राणिक  
 शेखाना 1, 12, 14 व 18 ने की राजपद  
 शिमेई में एक सिसेउला बंदकला केले  
 की राजम लोड बंदकला केस्य ने  
 सुपाचित लेख प्राणिकी। इति के खजाना  
 ख. नं. 346 रकबा 0.20 है; ख. नं. 345  
 रकबा 0.36 है; ख. नं. 344 रकबा 0.50 है  
 ख. नं. 347 रकबा 0.20 है; ख. नं. 351  
 रकबा 0.35 है; ख. नं. 352 रकबा 0.20  
 है; खाना से 172 कुह छिना 4 व  
 खाना से 175 ख. नं. 1810 रकबा 0.37  
 है; ख. 1826 रकबा 0.56 है.

कुह रकबा 0.93 है. काने ग्राम डारकूम  
 में वाही का 1/6 हिस्सा है। वाही  
 तथा प्राणिकी खेय्या 1 लगायत 21  
 व 22 अपने-अपने सिसेउला (कल्लि)  
 काबल है। वाही ने अपने सिसेउला  
 बंदकले हेतु उन पैदा किया है।

पत्रावली का कवलेमा किया  
 गया। इनके के साथ जमानेदी सेवक  
 2071-74 खाना से. 438, 172,  
 175 व 174 खेयतन है। जिनके कवलेमा  
 वाही तथा प्राणिकी 1 लगायत 21  
 व 22 कुह भूमि पर सरखानेदा  
 के हक में एक सिसेउला खानेदा  
 होने के कारण अपने सिसेउला की  
 भूमि भी विभाजन कराते कालकूम  
 है।

प्राणिकी जज के कवलेमा  
 में 1 व 21 व 22 की रूपरेखे  
 इकवागिया पत्राव लेख किया

73 डिग्री  
 192

नम्बर व  
अहकाम  
की तारीख

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुकम  
की तामील में जारी हुए

तथा राजस्व लोक दवालय के मय मालेडा  
के वती व परिवारी संख्या 1, 12, 14  
व 18 के भी प्रारंभिक पत्र पेश कर  
बेवारा हेतु निवेदन किया है।

अतः वारी फुन्दागत पुत्र कुलमय  
माली सि. डाकरुला. जगन्नेरी संवत्  
2071-74 के खाता संख्या 174 के  
ख. नं. 342 रकबा 0.20 है, खाता सं.  
438 के ख. नं. 345 रकबा 0.36 है  
खाता सं. 172 के ख. नं. 344, 347,  
351 व 253 कुल रकबा 4 कुल रकबा  
1.20 है व खाता सं. 175 ख. नं.  
1810, ख. नं. 1826 कुल रकबा 2  
कुल रकबा 0.92 है वारे ग्राम  
डाकरुला में वारी का 1/6 हिस्सा  
तथा शेष परिवारी 1 व 2 व  
23 के मध्य उनमें हिस्सेदार  
ग्राम में विभाजन हेतु वाद प्राथमिक  
डिब्बी (P.D) पारित की जाती है।

अतः तहसीलदार देवली को अथवा  
से अथवा तथा बुरी से बुरी ग्राम  
में से बेवारे के विद्वान के आधार  
पर तथा कलेक्टर अथवा अथवा  
के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु  
मोहा कमिश्नर नियुक्त किया जायगी।  
तथा पीस कमिश्नर 1880- विद्वान  
की जाती है।

प्रमाण दिनांक 28/11/17 के  
वारे पेश गये हुदुदाद हिजेरि पेशकी।

...

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/11/17

Camp Debar  
Kala

Not  
A  
Sanjivani

आज की वारी की इन होम कार्डों पर  
पर नोट प्रिन्स लिखने के लिए  
उस Camp की पंजाब की  
की लम्बे लम्बे के लिये की  
लम्बे लम्बे के लिये की पालन  
की गई है। यह पत्रावली को आगे  
वही चलाना चाहते हैं। यह कार्य  
वारी की प्रार्थना पर व हमारा  
पर नोट प्रिन्स लिखने पर पत्रावली  
नोट प्रिन्स में खारिज की जाती है।  
पत्रावली के मूल अक्षरों को नकार  
से जो है। आदि लक्षणों को  
परिष्कार करने के लिये  
आदि लक्षणों के सुगमता प्राप्त।

अपक्ष अधिकारी  
देवली (टोक)